

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 135 / 2025 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

मेन्टर होम लोन्स इण्डिया लि. पूर्व में (मेन्टर इण्डिया लिमिटेड)

प्रधान कार्यालय:- मेन्टर हाऊस, गोविन्द मार्ग, सेठी कॉलोनी, जयपुर

-प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. हनुमान प्रसाद वर्मा पुत्र बाबु लाल वर्मा
2. बाबु लाल वर्मा पुत्र सुवा लाल वर्मा
3. प्रभाती देवी पत्नी बाबु लाल वर्मा
4. मीना देवी पत्नी राजेश कुमार वर्मा

निवासीगण:- प्लॉट नम्बर 106, मोहल्ला बस स्टेण्ड टंकी, कराड़, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर, राजस्थान 332710

5. मनोहर पुत्र रतन लाल

निवासी:- कराड़, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर, राजस्थान 332710

-अप्रार्थीगण (ऋणी / बंधककर्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

स्वीकृति आदेश

दिनांक:- 21 जुलाई, 2025

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री सुरज शर्मा द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 क्रमशः हनुमान प्रसाद वर्मा पुत्र बाबू लाल वर्मा, बाबु लाल वर्मा पुत्र सुवा लाल वर्मा, प्रभाती देवी पत्नी बाबु लाल वर्मा, मीना देवी पत्नी राजेश कुमार वर्मा एवं मनोहर पुत्र रतन लाल की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी बाबु लाल पुत्र सुवा लाल के स्वामित्व की बंधक अचल सम्पत्ति पट्टा नम्बर 05, ग्राम पंचायत कराड़, पंचायत समिति दांतारामगढ़, जिला सीकर, राजस्थान में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल



(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

300 वर्गगज है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— उत्तर दिशा में सीताराम का मकान, दक्षिण दिशा में आम रास्ता, पूरब दिशा में श्रवण बलाई का प्लॉट एवं पश्चिम दिशा में हीरालाल बलाई का प्लॉट स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक बनाकर **कुल ₹4,00,000/- (अक्षरे रुपये चार लाख)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **01.09.2021** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **01.09.2021** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 क्रमशः **हनुमान प्रसाद वर्मा पुत्र बाबू लाल वर्मा, बाबू लाल वर्मा पुत्र सुवा लाल वर्मा, प्रभाती देवी पत्नी बाबू लाल वर्मा, मीना देवी पत्नी राजेश कुमार वर्मा एवं मनोहर पुत्र रतन लाल** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **बाबू लाल पुत्र सुवा लाल** के स्वामित्व की बंधक अचल सम्पत्ति **पट्टा नम्बर 05, ग्राम पंचायत कराड़, पंचायत समिति दांतारामगढ़, जिला सीकर, राजस्थान** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 300 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— उत्तर दिशा में सीताराम का



(मुकुल शर्मा)

2 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

मकान, दक्षिण दिशा में आम रास्ता, पूरब दिशा में श्रवण बलाई का प्लॉट एवं पश्चिम दिशा में हीरालाल बलाई का प्लॉट स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक **21 जुलाई, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(मुकुल शर्मा)
(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर